



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 225 राँची, गुरुवार,

15 मई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

24 अप्रैल, 2025

संख्या-5/आरोप-1-61/2018-30129 (HRMS)--श्री शिवाजी भगत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-107/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठेठईटांगर, सिमडेगा के विरुद्ध उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-264, दिनांक 29.05.2018 द्वारा आरोप-पत्र पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री भगत के विरुद्ध बगैर प्रभार सौंपे बिना अनुमति प्रखण्ड मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, रोकड़ पंजी का अद्यतन संधारण एवं निरीक्षण, पर्यवेक्षण नहीं करने, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4768, दिनांक 28.06.2018 द्वारा श्री भगत से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री भगत के पत्र दिनांक 21.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री भगत के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6411, दिनांक 23.08.2018 द्वारा एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से मंतव्य की माँग की गयी, परन्तु उपायुक्त, सिमडेगा से मंतव्य अप्राप्त रहा ।

फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-20194, दिनांक 17.04.2023 द्वारा श्री भगत के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-299, दिनांक 03.03.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में श्री शिवाजी भगत को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शिवाजी भगत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-107/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठेठईटांगर, सिमडेगा को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री शिवाजी भगत, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHIVA JI BHAGAT 20080400128	श्री शिवाजी भगत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-107/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठेठईटांगर, सिमडेगा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
